उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग–1
संख्या 66 /XII(1)/2016–96(01)/2016
देहरादून दिनांक 25 जनवरी, 2016

:कार्यालय ज्ञापः

भारत के संविधान के अनुछेद–243 में पंचायतों द्वारा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में योजना तैयार करने का अधिदेश किया है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 यथा संशोधित 1994 (उत्तराखण्ड में) यथा प्रवृत्त की धारा– 15–'क' के अनुसार ग्रांम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी। चौदवहें वित्त आयोग द्वारा अपनी संस्तुति में विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार करने की संस्तुति की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में इस योजना को डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना का नाम दिया गया है।

2. इस क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या– एम–11015/249/2015– डीपीई, दिनांक 04 नवम्बर, 2015 के द्वारा प्रेषित जी.पी.डी.पी. हेतु मॉड्ल दिशा–निर्देशों के प्रस्तर संख्या–3.1.2 में संस्तुत ग्राम पंचायत में समग्र नियोजन की प्रक्रिया के लिए अन्तर विभागीय समन्वय हेतु राज्य स्तरीय सशक्तिकरण समिति (State Level Empowered Committee) का गठन किया जाता है:–

1.	अपर मुख्य सचिव/आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा।	–	अध्यक्ष,
2.	सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।	–	समन्वयक,
3.	सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
4.	सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
5.	सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
6.	सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
7.	सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
8.	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
9.	सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
10.	सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
11.	सचिव, कृषि/मतस्य/पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
12.	सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
13.	सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
14.	सचिव, सिंचाई/लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
15.	सचिव, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	–	सदस्य,
16.	निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, ऊधमसिंह नगर।	–	सदस्य,

3. राज्य स्तरीय सशक्तिकरण समिति द्वारा डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं, विस्तृत शासनादेशों/प्रस्तावों को तैयार करने तथा सभी स्तरों पर अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए मानव संसाधनों तथा तकनीकी सहायता के विस्तृत स्त्रोतों और योजनाओं, संसाधनों के अभिसरण

(Convergence) हेतु निर्देश जारी करते हुए शासनादेशों/दिशा–निर्देशों के अनुपालन में प्रस्ताव तैयार करेगी।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 66 /XII(1)/2016–96(01)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा।
5. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल/आयुक्त, गढवाल मण्डल।
6. समस्त सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(जे.एल.शर्मा)
उप सचिव।